



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 18, 1980/आश्विन 26, 1902

No 42]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18, 1980/ASVINA 26, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रत्येक संकलन को रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

दिीध, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1980

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY  
AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 7th October, 1980

सां०का०नि० 1070 --राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकाधिकार तथा अद्वैत-धक व्यापारिक व्यवहार, आयोग, रजिस्ट्रार का कार्यालय, अद्वैतधक व्यापारिक करार (अधिकारी और कर्मचारिकुल ) भर्ती नियम 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. [(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकाधिकार तथा अद्वैतधक व्यापारिक व्यवहार, आयोग, रजिस्ट्रार का कार्यालय, अद्वैतधक व्यापारिक करार (अधिकारी और कर्मचारिकुल) भर्ती (द्वितीय) संशोधन नियम 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. एकाधिकार तथा अद्वैतधक व्यापारिक व्यवहार, आयोग, रजिस्ट्रार का कार्यालय अद्वैतधक व्यापारिक करार (अधिकारी एवं कर्मचारिकुल) भर्ती नियम 1976 के परन्तुक में, "होम राई और ऐसो" शब्दों के बीच "उसके लिए जो कारण हैं उन्हें रेखबद्ध करके" शब्द प्रस्तावित किए जाएंगे।

[का० सं० ए-12018/1/75-प्रशा०[काल्यूप-III]  
वेद प्रकाश उपपल, अवर सचिव

G.S.R.1070 :-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission, Office of the Registrar of Restrictive Trade Agreements (Officers and Staff) Recruitment Rules, 1976, namely:-

1. (1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission, Office of the Registrar of Restrictive Trade Agreements (Officers and Staff) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the proviso to rule 4A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission, Office of the Registrar of Restrictive Trade Agreements (Officers and Staff) Recruitment Rules, 1976, the words "for reasons to be recorded in writing" shall be added in the end.

[F.No. A.—12018/1/75-Admn. I. Vol. III].  
VED PARKASH UPPAL, Under Secy

1	2
3. तटबन्दीकोरिन सहायक (नवराई के स्थानों के प्रयोग का विनियमन) नियम, 1977	(i) "मुख्य इंजीनियर और प्रशासक" शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं "अध्यक्ष" शब्द रखा जायेगा। (ii) नियम 1 में "तटबन्दीकोरिन सहायक" शब्दों के स्थान पर "तृतीकोरिन पक्ष" शब्द रखा जायेगा। (iii) नियम 2 के उपनियम (1) में "नव तृतीकोरिन पक्ष" शब्दों के स्थान पर "तृतीकोरिन पक्ष" शब्द रखा जायेगा।

[पी० जी०एल०-83/78]  
एम० आर० गथवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT  
(Ports Wing)

New Delhi, the 30th September, 1980

G.S.R. 1096.—Whereas a draft of a notification specifying the modified short title and certain changes in the text of the rules applicable to the port of Tuticorin was published as required by sub-section (2) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) at pages 977-978 of the Gazette of India Part II Section 3(i) dated 3 May 1980, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports wing) No. G.S.R. 497, dated 18-4-80, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty five days from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 12 May 1980;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules namely :—

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby directs that the rules specified in column (1) of the Schedule annexed hereto, shall extend to, and come into force, in the Port of Tuticorin the precise extent of the limits whereof has been declared in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 90 (E) dated the 1st March, 1979, subject to the modification specified in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

Short title of the rules	Modification
1	2
1. The Port of New Tuticorin (Rates for the Use of the Wharf) Rules, 1976.	For the words "New Tuticorin" wherever they occur, the word "Tuticorin" shall be substituted.
2. The Major Port of Tuticorin (Harbour Craft) Rules, 1976.	For the words "Major Port of Tuticorin" wherever they occur the words "Port of Tuticorin" shall be substituted.
The Major Port of New Tuticorin (Regulation of the use of Landing Places) Rules, 1977.	(i) For the words "Chief Engineer and Administrator", wherever they occur, the word "Chairman" shall be substituted; (ii) in rule 1, for the words, "Major Port of New Tuticorin" the words, "Port of Tuticorin" shall be substituted; (iii) in rule 2, in sub-rule (1), for the words "Port of New Tuticorin" the words "Port of Tuticorin" shall be substituted.

[PGL-83/78]

M. R. GATHWAL, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1980

सा०का०नि०1097.—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी के अंदा आनुसंधान एकक में ज्येष्ठ मानचित्रकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी, नई दिल्ली (ज्येष्ठ मानचित्रकार) भर्ती नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वे होंगे जो इससे इन नियमों से उभावृत्त अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

## 4. निरहंताएं :—वह व्यक्ति —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपनी पति या अपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है :

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधारा हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्याप्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संघ में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करता अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	चयन पद अथवा अनुचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं
1	2	3	4	5	6	6क	7
ज्येष्ठ मानचित्रकार	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अलिपिक बर्गीय	550-25-750- द०रो०-30- 900 रु०	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवाओं के लिये शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए विभायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या संस्था से वाणिज्य कला में उपाधि या डिप्लोमा। (ii) मानचित्र, चार्ट, लेखांकित आदि बनाने में 2 वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अहंताएं, अन्यथा सुसंज्ञित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अहंताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती हैं, जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इन के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

सीधे भर्ती किये जाने परीक्षा की जाये व्यक्तिगत के लिये सर्वप्रथम यदि कोई व्यक्ति प्राप्त हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में ये श्रेणियों जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सच लोक सेवा प्रायोग के परामर्श किया जायेगा
---	---	---	---	--

8	9	10	11	12	13
साय नहीं होता।	सीधे	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकते पर सीधे भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन सक्षम पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी, जिन्होंने 425-700 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले किसी पद पर 5 वर्ष सेवा की है और जिसकी पास मानचित्र, कार्टे, नैखानिच, चित्र ग्राहक बनाने का दो वर्ष का अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए) : 1. उप-महानिदेशक (कार्यक्रम) — अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (प्रशासन) — सदस्य 3. निवेशक, श्रान्त अनु-संधान एलक—सदस्य सिपप : पुष्टि में नवांशिन विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहिया, सच लोक सेवा प्रायोग के अनु-सोचनार्थ भेजी जायेगी। किन्तु यदि सच लोक सेवा प्रायोग इनका अनुसोचन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सच लोक सेवा प्रायोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में से होगी।	सीधे भर्ती, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी का चयन तथा स्थानान्तरण और इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित या शिथिल करने समय सच लोक सेवा प्रायोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[संख्या ए-12019/1/78-वी० (ए)]

पार० डी० श्री०, प्रवर नचिब

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 9th September, 1980

G.S.R.1097. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Cartographer in the Audience Research Unit of All India Radio, New Delhi under the Ministry of Information and Broadcasting namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the All India Radio, New Delhi, (Senior Cartographer) Recruitment Rules, 1980.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column 6—13 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ;

OR

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that, the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories, in accordance with the orders, issued to the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of C.C.S. (Pension) Rules	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6a	7
Senior Cartographer	One	General Central Service Group 'B' non-gazetted Ministerial	Rs. 550-25-750-EB-30-900	Not applicable.	Not exceeding 30 yrs (Relaxable for Govt. Servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	No	Essential : (i) Degree or Diploma in Commercial art of a recognised University or Institution. (ii) Two years experience in drawing maps, charts, graphs, illustrations etc. Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2.—The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits apply for promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruit or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which U.P. S.C. is to be consulted in making recruitment		
8	9	10	11	12	13		
Not applicable	2 years	By transfer on deputation or transfer, failing both by direct recruitment.	Transfer on deputation/transfer : Officers under the Central/State Governments holding analogous posts or with 5 years service in posts in the scale of Rs. 425-700 or equivalent and possessing two years' experience in drawing maps, charts,	Group 'B' DPC (for considering confirmation) 1. Deputy Director-General (P)—Chairman 2. Deputy Director-General (A)—Member 3. Dir. (Audience Research Unit)—Member Note : The proceedings of	Consultation with the Commission necessary while making direct recruitment, selecting an officer for apptt. on deputation as well as		

8	9	10	11	12	13
			graphs, illustration etc. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 yrs.)	the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	transfer and amending/relaxing any of the provisions of these rules.

[No. A-12019/1/78-B(A)]

R. D. JOSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1980

New Delhi, the 24th September, 1980

सां कां लि० 1098.—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रेस परिषद नियम, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम प्रेस परिषद (संशोधन) नियम, 1980 है।

(ii) ये 1 मार्च, 1979 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. प्रेस परिषद नियम, 1979 के नियम 8 में, "(भारत)" कोष्ठक और शब्द का जोप किया जायगा

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रेस परिषद अधिनियम, 1970 के नियम 8 में और वार्ता के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि भारतीय प्रेस परिषद के कर्मचारी परिवर्ष में नियुक्ति की तारीख से अंशदायी भविष्य निधि (भारत) में अभिदान करने के हकदार होंगे। तदर्थ, अंशदायी भविष्य निधि (भारत) केवल उन अभिदाताओं के लिए ही है जो अपना वेतन भारत की संघित निधि से लेते हैं। परिषद के कर्मचारी अपना वेतन भारत की संघित निधि से न लेकर अन्य स्रोतों से लेते हैं, अतः वे अंशदायी भविष्य निधि (भारत) में अभिदान करने के पात्र नहीं हैं। क्योंकि परिषद के कर्मचारियों के लिए परिषद द्वारा स्वयं स्थापित अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान करना आवश्यक है, अतः उक्त नियम 8 में ऐसा संशोधन करना आवश्यक हो गया कि ब्रacket "अंशदायी भविष्य निधि" के बाद कोष्ठक तथा कोष्ठक में "(भारत)" शब्द का जोप किया जाए।

इस बीच, कुछ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान करने के लिए पात्र हो गए और वे परिषद में अपनी नियुक्ति के दिन से वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। उनके हितों का संरक्षण करने के लिए उक्त नियमों में भूतलक्षी तारीख से संशोधन करना आवश्यक हो गया।

3. प्रेस परिषद (संशोधन) नियम, 1980 को मार्च, 1979 के पहले दिन से भूतलक्षी प्रभाव देने के निर्णय से किसी के भी हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फाइल संख्या 4/25/79-प्रेस]  
सुरेश माथुर, जंयुक्त सचिव

G.S.R.1098.—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978) the Central Government hereby makes the following amendment to the Press Council Rules, 1979, namely :—

1. (i) These rules may be called the Press Council (Amendment) Rules, 1980.

(ii) They shall be deemed to have come into force on the 1st March, 1979.

2. In the Press Council Rules, 1979, in rule 8, the word and bracket "India" shall be omitted.

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

Rule 8 of the Press Council Rules, 1979, inter-alia, provided that the employees of the Press Council of India shall be entitled to subscribe to the Contributory Provident Fund (India) with effect from the date of appointment in the Council. However, the Contributory Provident Fund (India) is meant only for those subscribers who draw their salaries from the Consolidated Fund of India. The employees of the Council draw their salaries from sources other than the Consolidated Fund of India and, therefore, they are not eligible to contribute to the Contributory Provident Fund (India). Since the employees of the Council have necessarily to subscribe to the Contributory Provident Fund constituted by the Council itself it became necessary to amend the said rule 8 so as to omit the bracket as well as the word "(India)" in the bracket appearing after the phrase "Contributory Provident Fund".

2. In the meantime, some employees became eligible to subscribe to the Contributory Provident Fund and have in fact been doing so since the day of their appointment in the Council. With a view to safeguarding their interests it became necessary to make the said amendment in the said rules from a retrospective date.

3. The interests of no one would be prejudicially affected by reason of the decision to give retrospective effect from the 1st day of March, 1979 to the Press Council (Amendment) Rules, 1980.

[F. N. 4/25/79-Press]

SURESH MATHUR, Jt. Secy.